ग्राम पंचायत ढाबन, विकास खण्ड बल्ह, जिला मण्डी के लेखाओं का

अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि 01.04.22 से 31.03.24 तक

भाग- एक

1 **(क) प्रस्तावना :-**

ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व सयुंक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC-(5)C(15)LAD/2006-12669 दिनांक 07.04.2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, हि०प्र० राज्य लेखा परीक्षा विभाग, को सौंपे जाने के दृष्टिगत ग्राम पंचायत ढाबन, विकास खण्ड बल्ह, जिला मण्डी के अवधि 01.04.22 से 31.03.24 तक के लेखाओं का अंकेक्षण कार्य, हि०प्र० राज्य लेखा परीक्षा विभाग द्वारा किया गया।

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत में निम्नलिखित प्रधान / सचिव कार्यरत रहे:-

प्रधान :-

क्र0सं0	नाम	अवधि
1	श्री चेत राम	01.03.2022 से लगातार

सचिव :-

क्र0सं0	नाम	अवधि
1	श्री चंद्र मोहन	01.03.2022 से लगातार

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सार:-

ग्राम पंचायत ढाबन के लेखाओं अवधि 01-04-2022 से 31-03-2024 तक के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से है:-

क्रम संख्या	पैरा संख्या	अनियमितताओं का संक्षिप्त सार	राशि (₹ लाखों में)
1	4.1	रोकड़ बही का बैंक खातों से नियमानुसार मिलान न करना जिसके फलस्वरूप रोकड़ बही व बैंक खाते में अन्तर बारे	0.80
2	5(ख)	अनुदान राशि का उपयोग न करना	23.04
3	6(क)	गृह कर न वसूलने बारे	0.88
4	8(क)	रॉयल्टी की कटौती न करके वसूली न करना	0.75
5	9(क)	नियमानुसार विहित औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना निर्माण सामग्री का क्रय करना	1.50

(ग) गत अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन:-

गत अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिर्णीत पैरों पर की गई कार्यवाही की वर्तमान अंकेक्षण के दौरान सत्यापना की गयी, जिन पैरों पर की गई कार्यवाही संतोषजनक पाई गई उनका अंकेक्षण के दौरान ही निपटारा कर दिया गया । गत अंकेक्षण प्रतिवेदन के पैरों पर की गई कार्रवाई उपरान्त पैरों की नवीनतम स्थिति इस अंकेक्षण प्रतिवेदन के **परिशिष्ट ''क''** पर दर्शाई गई है ।

भाग- दो

2 वर्तमान अंकेक्षण:-

ग्राम पंचायत ढाबन, विकास खण्ड बल्ह, जिला मण्डी के अवधि 01.04.22 से 31.03.24 तक के लेखाओं का वर्तमान अंकेक्षण श्री दलजीत कुमार, कनिष्ठ लेखा परीक्षक द्वारा

दिनांक 06-05-2024 से 15-05-2024 तक ग्राम पंचायत कार्यालय मे किया गया। लेखाओं की विस्तृत जांच हेतु आय एवं व्यय के लिए मासों का चयन निम्न प्रकार से किया गया।

वित्तीय वर्ष	**आय**	**व्यय**
2022-23	04/22	05/22
2023-24	05/23	06/23

अस्वीकरण :- इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियन्त्रण अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। उक्त पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई किसी भी गलत सूचना/ अभिलेख के अपूर्ण/ गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु हि.प्र. राज्य लेखा परीक्षा विभाग, उत्तरदायी नहीं होगा । विभाग का उत्तरदायित्व केवल चयनित माह तक ही सीमित रहेगा ।

3 **अंकेक्षण शुल्क :-**

ग्राम पंचायत ढाबन, विकास खण्ड बल्ह, जिला मण्डी के अवधि 01.04.22 से 31.03.24 तक के लेखाओं का अंकेक्षण शुल्क ₹5600/- आँका गया है । उक्त अंकेक्षण शुल्क की राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक, हि.प्र. राज्य लेखा परीक्षा विभाग, शिमला-9 को प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या डी.के/एम.ए.एन.डी.आई /एस.ए.डी./2024-289 दिनांक 15.05.2024 द्वारा अनुरोध किया गया है ।

4 **वितीय स्थिति :-**

ग्राम पंचायत ढाबन द्वारा प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार ग्राम पंचायत के अवधि 01.04.22 से 31.03.24 के लेखाओं की वितीय स्थिति निम्न प्रकार से थी :-

(i) स्व: स्त्रौत व 5 वां वित्त आयोग :- ग्राम पंचायत ढाबन, के अवधि 01.04.22 से 31.03.24 तक की स्व: स्त्रौत व 5वां वित्त आयोग की वित्तीय स्थिति का विस्तृत विवरण **परिशिष्ट (ख)** में संलग्न है :-

वर्ष	अथ शेष (₹)	प्राप्ति (₹)	योग (₹)	व्यय (₹)	अन्तिम शेष (₹)
2022-23	1337886.82	476176	1814062.82	707885	1106177.82
2023-24	1106177.82	422240	1528417.82	520056	1008361.82

(ii) अन्य अनुदान:- ग्राम पंचायत ढाबन, के अवधि 01.04.22 से 31.03.24 तक की अन्य अनुदान की वित्तीय स्थिति का विस्तृत विवरण **परिशिष्ट (ग)** में संलग्न है :-

वर्ष	अथ शेष (₹)	प्राप्ति (₹)	योग (₹)	व्यय (₹)	अन्तिम शेष (₹)
2022-23	960742.6	1691559	2652301.6	1808737	843564.6
2023-24	843564.6	1488890	2332454.6	1503610	828844.6

दिनांक 31.03.24 को सामान्य निधि व अनुदान का अन्तशेष **1837206.42**

दिनांक 31.03.24 को बैंक में जमा व हस्तगत राशि का विवरण :-

Bank name	Account no.	Name of head	Closing balance as on 31.03.2023 (₹)
H.P State Cooperative Bank, Nerchowk	31910107998	Planning head	945110.60
H.P State Cooperative Bank, Nerchowk	31910117337	Planning head	15039
H.P State Cooperative Bank, Nerchowk	31910107080	Own source & 5th state	779654.82
Indusind Bank Shimla	100167301481	RGSA	16534
H.P State Cooperative Bank, Nerchowk	31910122663	14th fc	917
H.P State Cooperative Bank, Nerchowk	31910122662	SBM	0
		Total	**1757255.42**

बैंक समाधान विवरणी :-			
स्व: स्त्रौत :-			
	दिनांक 31.03.24 को रोकड़ बहियों में अन्तिम शेष		**1008361.82**
अनुदान :-			
	दिनांक 31.03.24 को रोकड़ बहियों में अन्तिम शेष		**828844.60**
स्व: स्त्रौत एवं अनुदान की रोकड़ बहियों में अंत शेष			1837206.42
	दिनांक 31.03.24 को बैंक खातों में अन्तिम शेष		1757255.42
अन्तर की राशि			**79951**

(iii) **15 वाँ वित्त आयोग:-** ग्राम पंचायत ढाबन, के अवधि 01.04.22 से 31.03.24 तक की 15 वाँ वित्त आयोग की वित्तीय स्थिति का विस्तृत विवरण **परिशिष्ट (घ)** में संलग्न है :-

वर्ष	**अथ शेष (₹)**	**प्राप्ति (₹)**	**योग (₹)**	**व्यय (₹)**	**अन्तिम शेष (₹)**
2022-23	1473051.3	1092497	2565548.3	1011697.7	1553850.6
2023-24	1553850.6	584351	2138201.6	663271	1474930.6

Bank Reconcilation as on 31 03-2024			
Balance as per cash book	1474930.6		
Add:- On dated 31.03.2023 expenditure of Rs 17.70(bank charges) occurs as per cash book but no such expenditure occurs in pass book	17.7		**1474948.3**
Balance as per Pass book A/C no. 501000344406367			**1474948.3**
Net Difference			**nill**

(iv) मनरेगा

वर्ष	**अथ शेष (₹)**	**प्राप्ति (₹)**	**ब्याज (₹)**	**योग (₹)**	**व्यय (₹)**	**अन्तिम शेष (₹)**
2022-23	0	3106331.8	0	3106331.8	3106331.8	0
2023-24	0	3551028	0	3551028	3551028	0

4.1. रोकड़ बही का बैंक खातों से नियमानुसार मिलान न करना जिसके फलस्वरूप रोकड़ बही व बैंक खाते में ₹0.80 लाख का अन्तर पाया जाना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7(3) व 10(1) के अनुसार पंचायतों की रोकड़ बही के शेषों का बैंक खातों के शेष से मिलान करना अनिवार्य है । जबकि पंचायत की रोकड़ बही के अवलोकन में पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान रोकड़ बही व बैंक खातों का मिलान नहीं किया गया था, जिस कारण से दिनांक 31.03.24 को रोकड़ बही में दर्ज प्रविष्टियों के अनुसार रोकड़ बही एवं बैंक के अन्तिम शेष में **₹79951** की राशि का अन्तर पाया गया । अत: मिलान करके अनुपालना से आगामी अंकेक्षण के दौरान अवगत कराया जाये ।

5 (क) पंचायत के स्वः स्त्रोतों की आय के लिये अलग बैंक खाते का संचालन न करना :-

हि0प्र0 पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7 (1 व 2) में पंचायत द्वारा दो बैंक खाते खोले जाने का प्रावधान है, जिसमें से खाता "क" में पंचायत के स्वयं संसाधनों से प्राप्त आय तथा खाता "ख" में प्राप्त समस्त अनुदानों को जमा करवाए जाने का प्रावधान है परन्तु ग्राम पंचायत ढाबन के लेखाओं की अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा विभिन्न परियोजनाओं के संचालन हेतु बैंक खाते खोले गये थे और उपरोक्त नियम की अनुपालना में पंचायत के स्वः स्त्रोतों की आय हेतु खाता "क" का संचालन अलग से नहीं किया जा रहा था । अतः इस सन्दर्भ में उपयुक्त स्पष्टीकरण के अतिरिक्त उचित सुधारात्मक कार्यवाही नियमानुसार करते हुये अनुपालना से अंकेक्षण के दौरान अवगत करवाया जाये।

(ख) अनुदान ₹23.04 लाख का उपयोग न करना :-

सचिव ग्राम पंचायत ढाबन द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई अनुदानों से सम्बन्धित अभिलेख/सूचनाओं के अवलोकन पर पाया गया कि पंचायत द्वारा दिनांक

31.03.24 तक अनुदान ₹23,03,775.20 की राशि उपयोग हेतु शेष थी जिसका विवरण **पैरा संख्या 4(ii), 4(iii)** में दिया गया है जो कि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भत्ते) नियम 2002 के नियम 9 की अवहेलना है । अतः वर्णित अनुपयुक्त अनुदान राशियों को यथाशीघ्र निर्धारित उद्देश्य हेतु उपयोग किया जाना सुनिश्चित किया जाए व अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए

(ग) अनुदान रजिस्टर का उचित अनुरक्षण व अद्यतन न करना :-

ग्राम पंचायत ढाबन द्वारा अंकेक्षण अवधि **01.04.2022** से **31.03.2024** के दौरान अनुदान रजिस्टर का नियमानुसार उचित अनुरक्षण व अद्यतन नहीं किया गया था जोकि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम **2002** के नियम **31** की अवहेलना की गयी है ।

अतः इस सम्बन्ध में वस्तु स्थिति स्पष्ट की जाए तथा अनुदान रजिस्टर का नियमानुसार उचित अनुरक्षण व अद्यतन करना सुनिश्चित करते हुए अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए ।

6. (क) पंचायत राजस्व गृह कर की देय राशि ₹0.88 लाख की वसूली न करना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम **1994** की धारा **100** तथा हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संपरीक्ष, संकर्म, कराधान और भत्ते) नियम **2002** के नियम **32** के अनुसार पंचायत को सम्पत्ति कर/गृहकर कर वसूली करना अपेक्षित है। ग्राम पंचायत ढाबन के गृहकर की आय से सम्बन्धित अभिलेखों की जाँच करने पर पाया गया कि **परिशिष्ट (ङ)** अनुसार **₹87730** की वसूली नहीं की गई थी जिससे स्पष्ट है कि पंचायत अपने राजस्व की उगाही के प्रति गम्भीर नही है । अतः परामर्श दिया जाता है कि लम्बित करों एवं बकाया राशियों की शीघ्र वसूली हेतु नियमानुसार प्राथमिकता के आधार पर अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाई जानी सुनिश्चित की जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए ।

(ख) विवाह पंजीकरण शुल्क ₹ 0.01 लाख की वसूली न करना :-

संयुक्त निदेशक, पंचायती राज विभाग, हि0प्र0 के पत्र संख्याः PCH-HA(1)8/2013-Marriage-8017-8106 दिनांक 28.10.16 व सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, हिमाचल प्रदेश शिमला की अधिसूचना संख्याः SJE-A-A(3)-1/2015 दिनाँक 4.10.16 के अन्तर्गत विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में 200 प्रति पंजीकरण तथा विलम्ब के लिए 400 अर्थात दोगुनी दर से पंजीकरण शुल्क प्राप्त की जानी निर्धारित है परन्तु ग्राम पंचायत ढाबन द्वारा अवधि 01.04.22 से 31.03.2024 के दौरान विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में निम्न विवरणानुसार **₹400** की कम वसूली की गई थी। जिसका विवरण इस प्रकार से है :-

क्रम संख्या	रजिस्टर पृष्ठ संख्या	रसीद संख्या	आवेदनकर्ता का नाम	विवाह की तिथि	पंजीकरण की तिथि	भुगतान योग्य राशि (₹)	प्राप्त राशि (₹)	अन्तर की राशि (₹)
1	12	nill	सलमान खान सुपुत्र श्री हैदर अली	13.11.22	07.01.23	400	200	200
2	14	nill	चेतन सुपुत्र श्री कृष्ण लाल	22.10.23	21.11.23	200	शून्य	200
								400

सचिव ग्राम पंचायत को अंकेक्षण अधियाचना संख्याःडी.के/एम.ए.एन.डी.आई /एस.ए.डी./2024-276 दिनांक 07.05.2024 द्वारा इस सम्बन्ध में अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु कहा गया था जिसके प्रतिउत्तर में सचिव द्वारा सूचित किया गया कि जिन आवेदनकर्ताओं से कम शुल्क लिया गया था उनसे रसीद संख्या 665925-26 दिनांक 09.05.2024 द्वारा वसूली करने के उपरांत पंचायत निधि में जमा करवा दिया गया है ।

7. राष्ट्रीय सम्पति निर्देशिका (National Asset Directory) में पंचायत द्वारा सभी चल/अचल सम्पतियों को दर्ज न करना :-

पंचायती राज मंत्रालय भारत सरकार के तत्वाधान में वर्ष 2010-11 में पंचायत मिशन प्रोजेक्ट (एम०एम० पी०) प्रारम्भ की गयी थी। इस योजना के अंतगर्त विभिन्न एप्लिकेशन है जिनमें पंचायत की दैनिक कार्यवाही जिसे की पंचायत द्वारा की गयी सेवाओं / सामान की खरीद/भुगतान एवं पंचायत सम्पति इत्यादि का इंद्राज करना अनिवार्य है। ग्राम पंचायत ढाबन, विकास खण्ड बल्ह, जिला मंडी (हि०प्र०) के अभिलेखों की नमूना जाँच के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा राष्ट्रीय सम्पति निर्देशिका (National Asset Directory) में पंचायत द्वारा अर्जित सभी चल/अचल सम्पतियों को दर्ज नहीं किया गया। जांच के दौरान पाया गया कि राष्ट्रीय सम्पति निर्देशिका में स्थायी सम्पत्तियों के रूप में केवल अलमीरा, कुर्सियाँ ही दर्ज की गयी थी तथा उनमें भी सम्पूर्ण जानकारी जैसे खरीद की तारीख तथा मूल्य इत्यादि दर्ज नही थे। इसके अलावा अन्य सम्पतियाँ जैसे हीटर पंखे, बर्तन, लैपटाप, प्रिंटर इत्यादि का इन्द्राज ही नहीं किया गया था। इसी प्रकार पंचायत द्वारा किये गए समस्त कार्यों को इसमें दर्ज नहीं किया गया था तथा पंचायत द्वारा केवल 02 कार्यो को ही दर्ज किया गया था उनकी भी लागत मूल्य एवं निर्माण अथवा प्राप्ति की तारीख दर्ज नहीं थी। ग्राम पंचायत ने लेखा परीक्षा की तिथि तक (03/2024) बहुत से कार्यों को पूर्ण किया था तथा पंचायत के पास अपना पंचायत घर है परन्तु पंचायत द्वारा अर्जित सभी प्रकार की चल/अचल सम्पतियों को राष्ट्रीय सम्पति निर्देशिका (National Asset Directory)में दर्ज नहीं किया था। पंचायत द्वारा अर्जित सभी प्रकार की चल/अचल सम्पतियों को वास्तविक मूल्य पर ही पंचायत मिशन प्रोजेक्ट (एम०एम०पी०) द्वारा आरम्भ की गयी इस योजना के अंतगर्त दी गई एप्लिकेशन में दर्ज किया जाना अनिवार्य था। अतः यह स्पष्ट है कि पंचायत द्वारा इस एप्लीकेशन के अंतर्गत कार्य को सही ढंग से नहीं किया

जा रहा। पंचायत द्वारा उपरोक्त अप्लिकेशन में सभी प्रकार की चल/अचल सम्पतियों को दर्ज न करना भारत सरकार पंचायती राज मंत्रालय की ओर से जारी किये गए निर्देशों का उलंघन था जोकि गम्भीर अनियमितता है । उक्त प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्या डी.के./एम.ए.एन.डी.आई /एस.ए.डी./2024-280 दिनांक 08.05.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत ढाबन के ध्यानार्थ में वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु लाया गया था, जिसके प्रतिउत्तर में सचिव द्वारा सूचित किया गया ग्राम पंचायत द्वारा राष्ट्रीय संपत्ति निर्देशिका में पंचायत द्वारा सभी चल/अचल सम्पत्तियों को दर्ज नही किया जा रहा था जिसे अब आपके दिशा-निर्देश के तहत पंचायत की सभी चल/अचल संपपतियों को दर्ज करवा कर अंकेक्षण से अवगत करवा दिया जाएगा।

8. (क) आपूर्तिकर्ता/सप्लायर बिल से रॉयल्टी की कटौती न करने के कारण ₹0.75 लाख का अधिक भुगतान करना :-

हिमाचल प्रदेश इंडस्ट्री विभाग की अधिसूचना संख्याः Ind-II(f)/6-14/2014-Vol-I दिनांक 10.02.2022 के अनुसार खनन सामग्री जैसे रेत/बजरी/पत्थर इत्यादि पर सरकार को रॉयल्टी का भुगतान किया जाना अपेक्षित था। विकास/निर्माण कार्य पर उपयोग की जाने वाली सामग्री (रेत, बजरी, पत्थर इत्यादि) के लिए सप्लायर/आपूर्तिकर्ता माईनिंग अधिकारी से अनिवार्य रूप से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करेगा यदि वह प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं करता है तो ग्राम पंचायत द्वारा बिल की अदायगी करते समय रॉयल्टी की कटौती करके राशि को राजकीय कोष के शीर्ष 0853-102-01-05 में जमा किया जाना अपेक्षित था। अंकेक्षण के दौरान विभिन्न निर्माण कार्य बिलों की जाँच में पाया गया गया कि कार्य स्थलों पर रेत, बजरी, पत्थर का उपयोग किया गया था परन्तु ग्राम पंचायत द्वारा सप्लायर के बिल से न तो रॉयल्टी की कटौती की गई थी और न ही अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया गया था जिस कारण निम्न विवरणानुसार आपूर्तिकर्ता

व्यक्ति/संविदाकार को ₹75006 का अधिक भुगतान किया गया था । जिसका विवरण **परिशिष्ट (च)** में संलग्न है ।

उक्त प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्या:-डी.के/एम.ए.एन.डी.आई/एस.ए.डी./2024-281 दिनांक 09.05.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत ढाबन के ध्यानार्थ में वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु लाया गया था, जिसके प्रतिउत्तर में सचिव द्वारा सूचित किया गया कि रॉयल्टी के रूप में कम वसूल राशि को वसूल कर के सरकारी कोष में जमा करवा दिया जाएगा । अतः परामर्श दिया जाता है कि रॉयल्टी की कम वसूली गयी राशि को उचित स्त्रोत से वसूली करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए ।

(ख) हिमाचल प्रदेश सिविल सप्लाई कार्पोरेशन से प्राप्त बिलों पर ₹0.01 लाख का अधिक भुगतान किया जाना :-

ग्राम पंचायत ढाबन, विकास खण्ड बल्ह, जिला मण्डी (हि० प्र ०) की अवधि 4/22 से 3/24 के अंकेक्षण के दौरान 15वां वित्त आयोग के व्यय वाउचरों की जांच पाया गया कि पंचायत द्वारा हिमाचल प्रदेश सिविल सप्लाइ कार्पोरेशन से सीमेंट की खरीद पर प्राप्त बिलों के एवज में ₹430 की राशि का अधिक भुगतान किया गया था जोकि अनियमित व अनुचित प्रक्रिया है जिसका विस्तृत विवरण निम्न प्रकार से है :-

क्रम संख्या	आपूर्तिकर्ता	बिल संख्या	कार्य का नाम	सीमेंट बैग की मात्रा	भुगतान योग्य राशि	वास्तविक भुगतान (₹)	अन्तर (₹)
1	हिमाचल प्रदेश सिविल सप्लाई कार्पोरेशन	cs063-22-0064855 dated 24.06.22	c/o flood protection wall in ward no. 7	41	41 @ 340.29 = 13952	14215	263
2	हिमाचल प्रदेश सिविल सप्लाई	cs063-22-0064854 dated 24.06.22	c/o drain saini basti	54	54 @ 340.29 = 18376	18479	103

	कार्पोरेशन						
3	हिमाचल प्रदेश सिविल सप्लाई कार्पोरेशन	cs063-22-0064859 dated 24.06.22	c/o kabristan in land of khushi muhammad	75	75 @ 340.29 = 25522	25586	64
कुल योग							**430**

उक्त प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्याः संख्याःडी.के./एम.ए.एन.डी.आई./एस.ए.डी./2024-284 दिनांक 13.05.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत ढाबन के ध्यानार्थ में वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु लाया गया था जिसके प्रतिउत्तर में सचिव द्वारा सूचित किया गया कि हिमाचल प्रदेश सिविल सप्लाई कार्पोरेशन को किए गए भुगतान के सम्बन्ध अधिक भुगतान की गयी या तो वसूली कर दी जाएगी अन्यथा अधिक मूल्य के बराबर की राशि से सीमेंट बैग खरीद कर उपरोक्त राशि को समायोजित कर दिया जाएगा । अतः परामर्श दिया जाता है कि अधिक भुगतान की गयी राशि का औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा अधिक भुगतान की गयी राशि की वसूली उचित स्त्रोत से करके संबन्धित निधि में जमा करने के पश्चात अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए ।

9. (क) नियमानुसार विहित औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ₹1.50 लाख का निर्माण सामग्री का क्रय करना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भत्ते) नियम 2002 के नियम 67(4) व 67(5) द्वारा स्टॉक/स्टोर का क्रय करने की औपचारिकताएं प्रावधित हैं । परन्तु अंकेक्षण के दौरान व्यय वाउचरों का अंकेक्षण करने पर पाया गया कि अनुसार पंचायत द्वारा वर्ष 2022-23 व 2023-24 में ₹149822 की निर्माण से सम्बन्धित सामग्री का क्रय नियमानुसार निविदा/कोटेशन सम्बन्धी औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही किया

गया था, जोकि गम्भीर अनियमितता है जिसके अभाव में यह ज्ञात करना संभव नहीं है कि उक्त वर्ष में विभिन्न सामग्री की क्रय दर कितनी थी तथा जिस मूल्य पर खरीद की गयी थी उसके संबंध में उचित अभिलेख न होने के कारण निम्न विवरणानुसार क्रय की गयी सामग्री पर किए गए व्यय को उचित नहीं ठहराया जा सकता है जोकि पंचायत निधि के धन के दुरुपयोग को भी दर्शाता है । जिसका विवरण इस प्रकार से है :-

क्रम संख्या	बिल संख्या/दिनांक	शीर्ष	आपूर्तिकर्ता	मद का नाम	भुगतान राशि (₹)
1	734/17.02.23	15वां वित्त आयोग	फस्ट रे एंटरप्राइज़ गाँव व डाकघर लोहारा तहसील बल्ह जिला मण्डी	बिजली का सामान	24189
2	1371/28.04.22	14 वां वित्त आयोग	एम/एस श्री मार्बल इंडस्ट्री गाँव व डाकघर डदौर नेर चौक जिला मण्डी	हार्डवेर आइटम	111665
3	1278/06.05.22	15 वां वित्त आयोग	श्री नैना माता स्टील होलसेल गाँव व डाकघर भंगरोतु तहसील बल्ह जिला मण्डी	पाइप	13968
					149822

उक्त प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्या डी.के/एम.ए.एन.डी.आई /एस.ए.डी./2024-279 दिनांक 08.05.2024 को अंकेक्षण के दौरान ही सचिव ग्राम पंचायत ढाबन के ध्यानार्थ लाया गया जिसके प्रतिउत्तर में सचिव द्वारा सूचित किया गया कि भविष्य में इस प्रकार की त्रुटि को दोहराया नही जाएगा । उत्तर संतोषजनक नही था अतः परामर्श दिया जाता है कि वर्णित अनियमितता का पूर्ण औचित्य स्पष्ट करते हुए वर्ष 2022-23 व 2023-24 में किए गए व्यय की उचित कार्यवाही करके जांच की जाए तथा इसे उचित सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से नियमित करवाया जाए व भविष्य में नियमानुसार सभी औपचारिकताएं पूर्ण करते हुए

वस्तुओं/सामग्री का क्रय करना सुनिश्चित किया जाए तथा कृत कार्रवाई से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

(ख) भुगतान किये गए बिलों पर नियमानुसार अदायगी आदेश अंकित न करना व मस्ट्रोलों द्वारा भुगतान को अधिप्रमाणित नहीं करना:-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान, और भत्ते) नियम, 2002 के नियम 49(1) के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा किसी वाउचर के लिए नगद या चैक द्वारा कोई भी संदाय तब तक नहीं किया जायेगा जब तक नहीं किया जायेगा जब तक कि यह, यथास्थिति ग्राम पंचायत प्रधान और सम्बन्ध पंचायत सचिव द्वारा शब्दों और अंकों दोनों में देय रकम को इसमें विनिर्दिष्ट करते हुए संयुक्ततः हस्ताक्षरित या अद्याक्षारित अदायगी धारित नही करता।

ग्राम पंचायत ढाबन, विकास खण्ड बल्ह जिला मण्डी (हि०प्र०) की लेखा परीक्षा के दौरान पाया गया कि लेखा परीक्षा अवधि के दौरान पंचायत द्वारा किये गए भुगतानों से सम्बन्धित वाउचरो/ बिलो को ग्राम पंचायत प्रधान और सम्बन्ध पंचायत सचिव द्वारा शब्दों और अंकों दोनों में देय रकम को इसमें विनिर्दिष्ट करते हुए संयुक्ततः हस्ताक्षरित या अद्याक्षारित अदायगी धारित नही किया गया था। इसके अतिरिक्त मस्ट्रोल के तहद की गई अदायगी को तकनीकी सहायक, निर्माण समिति तथा सम्बन्धित वार्ड पंच द्वारा भी अधिप्रमाणित नहीं किया गया था। नियमानुसार अदायगी आदेश धारित न करने तथा मस्ट्रोलों को तकनीकी सहायक, निर्माण समिति तथा सम्बन्धित वार्ड पंच द्वारा अधिप्रमाणित नहीं करने के अभाव में किये गए भुगतान अनियमित थे तथा इनकी प्रमाणिकता को सुनिश्चित नहीं किया जा सकता तथा यह उपरोक्त नियमों के विरूद्ध था। अतः संयुक्ततः हस्ताक्षरित या अद्याक्षारित अदायगी नियमानुसार धारित न करना और मस्ट्रोलों को अधिप्रमाणित नहीं करना हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान, और भत्ते) नियम, 2002 के नियम

के नियमों की स्पष्ट अवहेलना है । उक्त प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्या डी.के./एम.ए.एन.डी.आई./ एस.ए.डी./2024-278 दिनांक 08.05.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत ढाबन के ध्यानार्थ में वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु लाया गया था, जिसके प्रतिउत्तर में सचिव द्वारा सूचित किया गया ग्राम पंचायत द्वारा भुगतान किये गए बिल्स पर नियमानुसार अदायगी आदेश अंकित नहीं किए गए थे व मस्ट्रोलों द्वारा भुगतान को अधिप्रमाणित नहीं किया गया था । जिसे अब आपके दिशा-निर्देशों के तहत भविष्य में नियमानुसार अदायगी आदेश को अंकित करके व मस्ट्रोलों की भुगतान राशि को अधिप्रमाणित करके अनुपालना करके लेखा परीक्षा से अवगत करवा दिया जाएगा ।

(ग) पंचायत द्वारा शेल्फ में अनुमोदित कार्यों का कार्यान्वन न करना तथा जॉब कार्ड धारकों को हकदारी के अनुसार रोजगार प्रदान न करना :-

मनरेगा अधिनियम 2005 के पैरा 3.2(iii) के अनुसार प्रतिवर्ष प्रति परिवार 100 दिनों की कार्य संबंधी हकदारी का वितरण एक ही परिवार के अलग-अलग व्यस्क सदस्यों में किया जा सकता है । प्रतिवर्ष प्रति परिवार 100 दिनों की कार्य संबंधी हकदारी को सरकार की अधिसूचना द्वारा वर्ष 2017-18 से 120 दिन कर दिया गया है । पैरा 6.4 के अंतर्गत लेबर बजट के लिए परियोजनाओ की शेल्फ तैयार की जाएगी तथा ग्राम सभा द्वारा वार्षिक योजना तथा श्रम बजट का अनुमोदन किया जाएगा । ग्राम सभा द्वारा अनुमोदित परियोजनाओं की शेल्फ को पंचायत समिति एवं जिला पंचायत अधिकारी के माध्यम से करवाया जायेगा । अतः अनुमोदित परियोजनाओ का कार्यान्वन मनरेगा के तहद उपलब्ध जॉब कार्ड धारको द्वारा ही करवाया जायेगा । अभिलेखों की नमूना जाँच व ग्राम पंचायत ढाबन, विकास खण्ड बल्ह जिला मण्डी (हि०प्र०) द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना में पाया गया कि ग्राम पंचायत में वर्ष 2022-23 व 2023-24 के दौरान जॉब कार्ड धारकों को सरकार द्वारा निर्धारित रोजगार दिवसों की संख्या से

कम रोजगार दिवस उपलब्ध करवाए गए थे। उपरोक्त अवधि के दौरान जॉब कार्ड धारकों को उपलब्ध करवाए गए रोजागर दिवसों का विवरण निम्न तालिका में दर्शाया गया है:

वर्ष	मनरेगा शेल्फ के अंतर्गत अनुमोदित कार्य	मनरेगा शेल्फ के अंतर्गत किये गए कार्य	शेल्फ तथा किये गए कार्यों के बीच अंतर	जॉब कार्ड धारकों की संख्या (HH)	जॉब कार्ड धारकों की संख्या जिन्होंने रोजागर माँगा (HH)	जॉब कार्ड धारकों की संख्या जिन्हें रोजागर प्रदान किया गया (HH)	वर्ष के दौरान प्रदान किये गए मेंडेस	जॉब कार्ड धारकों की संख्या जिन्हें 100/120 दिनों का रोजागर प्रदान किया गया	मनरेगा शेल्फ के अंतर्गत प्रदान किए जाने वाले कार्य दिवस	वर्ष से दौरान रोजगार प्रदान किये जाने में कमी
2022-23	94	49	45	614	211	211	9435	5	123724	114289
2023-24	192	34	158	591	227	227	12118	23	97446	85328

उपरोक्त तालिका से यह स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष 2022-23 व 2023-24 के दौरान सभी जॉब कार्ड धारकों को रोजगार प्रदान नहीं किया गया था जिससे यह प्रतीत हुआ कि पंचायत द्वारा जॉब कार्ड पात्रता के आधार पर नहीं बनाये गए थे जिसकी पुष्टि लेखा परीक्षा में नहीं की जा सकी थी। इसके अतिरिक्त जिन जॉब कार्ड धारकों को रोजगार प्रदान किया गया था उन्हें प्रतिवर्ष प्रति परिवार 100/120 दिनों की कार्य दिवस हकदारी के अनुसार वितरित नहीं किया गया था जबकि ग्राम पंचायत ने उपरोक्त वर्षों में पर्याप्त कार्यों को मनरेगा शेल्फ के अंतर्गत अनुमोदित करवाया था जिनमें से केवल आंशिक कार्य ही पूरे किये गए थे। पंचायत द्वारा अनुमोदित सभी कार्यों को न तो शुरू किया गया था जिससे स्पष्ट है की मनरेगा के तहत तैयार की जाने वाली वार्षिक शेल्फ जिसके परिणामस्वरूप सभी जॉब कार्ड धारकों को कार्य दिवस हकदारी के अनुसार वितरित/प्रदान नहीं किये गए थे। अनुमोदित कार्यों में से किये गए/कार्यान्वित कार्यों की दर बहुत ही कम थी जिससे यह प्रतीत हुआ की पंचायत द्वारा शेल्फ में कार्यों को या तो काल्पनिक आधार पर अनुमोदित किया गया था या पंचायत अनुमोदित कार्यों के कार्यान्वयन के प्रति गम्भीर नहीं थे जोकि नियमो की अवहेलना ही नहीं बल्कि लापरवाही को भी दर्शाता है।

उक्त प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्या डी.के./एम.ए.एन.डी.आई./एस.ए.डी./2024-286 दिनांक 14.05.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत ढाबन के ध्यानार्थ में वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु लाया गया था, जिसके प्रतिउत्तर में सचिव द्वारा सूचित किया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा शेल्फ में अनुमोदित कार्यों का कार्यान्विन न करना तथा जॉब कार्ड धारकों को हकदारी के अनुसार रोजगार प्रदान नहीं किया गया था, जिसे अब भविष्य में जॉबकार्ड धारको को रोजगार प्रति वर्ष प्रति परिवार 100 दिनों के कार्यदिवस हकदारी के अनुसार दिया जायेगा तथा शेल्फ में अनुमोदित सभी कार्य क्रियान्वित किये जाएँगे। तथा भविष्य में जॉबकार्ड पात्रता के आधार पर बनाए जायेंगे जिसकी अनुपालना करके लेखापरीक्षा से अवगत करवा दिया जाएगा।

(घ) वितीय वर्ष 2022-23 व 2023-24 के दौरान मनरेगा शीर्ष के अन्तर्गत करवाए गए निर्माण कार्यों में निर्धारित सीमा से मजदूरी पर राशि ₹05.84 लाख ज्यादा व सामान पर राशि ₹ 05.84 लाख कम व्यय करना :-

महात्मा गाँधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) 2005, के नियम 1.2 के अनुसार मजदूरी व सामान पर 60:40 के अनुपात में व्यय किया जाएगा। अभिलेख की जांच करने पर पाया गया कि वित्तीय वर्ष 2022-23 व 2023-24 के दौरान मनरेगा शीर्ष के अन्तर्गत सामान/निर्माण सामग्री पर व्यय योग्य राशि ₹ 26.63 लाख की जगह ₹ 20.79 लाख व्यय करके, अपेक्षित व्यय योग्य राशि से ₹ 05.84 लाख कम व्यय व मजदूरी पर व्यय योग्य राशि ₹ 39.93 लाख की जगह ₹ 45.77 लाख व्यय करके, अपेक्षित व्यय योग्य राशि से ₹ 05.84 लाख ज्यादा किया गया। जिसका विवरण निम्न प्रकार से है :-

वर्ष	कुल व्यय	मजदूरी पर व्यय	मजदूरी पर व्यय योग्य राशि (कुल व्यय का @ 60%)	सामान पर व्यय	सामान पर व्यय योग्य राशि (कुल व्यय का @ 40%)
	(₹ लाखों में)	(₹ लाखों में)	(₹ लाखों में)	(₹ लाखों में)	(₹ लाखों में)
2022-23	31.06	19.42	18.63	11.64	12.43
2023-24	35.51	26.35	21.3	9.15	14.2
कुल आय	**66.57**	**45.77**	**39.93**	**20.79**	**26.63**

उक्त प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्या डी.के/एम.ए.एन.डी.आई/एस.ए.डी./2024-285 दिनांक 14.05.2024 को अंकेक्षण के दौरान ही सचिव ग्राम पंचायत ढाबन के ध्यानार्थ लाया गया जिसके प्रतिउत्तर में सचिव द्वारा सूचित किया गया कि निर्धारित सीमा से अधिक किये गए व्यय को निर्धारित सीमा के अंतर्गत ही व्यय किया जाएगा। अतः वितीय वर्ष 2022-23 व 2023-24 के दौरान महात्मा गाँधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) 2005, के नियम 1.2 के अनुसार मजदूरी व सामान पर 60:40 के अनुपात में व्यय न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व सामान पर निर्धारित सीमा से राशि ₹ 05.84 कम व मजदूरी पर निर्धारित सीमा से राशि ₹ 05.84 लाख ज्यादा व्यय करने हेतु सक्षम अधिकारी से कार्योत्तर स्वीकृत प्राप्त करके अनियमित व्यय को नियमित करवाया जाए। अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

(च) मनरेगा निधि से संबन्धित माप पुस्तिका को अंकेक्षण में जांच हेतु प्रस्तुत न करने बारे :-

ग्राम पंचायत ढाबन के अवधि 01-04-22 से 31-03-2024 तक के अंकेक्षण के दौरान मनरेगा निधि व अन्य अनुदान के व्यय वाउचरो की जांच में पाया गया कि मनरेगा निधि से

चयनित माह 05/22 व 0623 में मजदूरी मस्ट्रोलों के भुगतान का भुगतान किया गया था। जिसका मूल्यांकन माप पुस्तिका में किया जाना अपेक्षित था परन्तु ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण में माप पुस्तिका को अंकेक्षण में जांच हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया था ।अत : माप पुस्तिका को अंकेक्षण में जांच हेतु प्रस्तुत न करने के कारणों को स्पष्ट किया जाए तथा उपरोक्त माप पुस्तिका को अंकेक्षण में प्रस्तुत करने के उपरान्त अनुपालना से अवगत करवाया जाए।

10. (क) बजट प्राक्कलन तैयार न करना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 37 के अनुसार सचिव द्वारा फार्म -11 में पंचायत के आय व व्यय के प्राक्कलन तैयार करके ग्राम सभा में पारित करना अपेक्षित था। परन्तु जाँच के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान पंचायत का बजट प्राक्कलन तैयार नहीं किया गया था। इस प्रकार बजट प्राक्कलन तैयार / अनुमोदित न करने के कारण पंचायत द्वारा किया गया व्यय अनियमित है। सचिव द्वारा निर्धारित फार्म -11 पर बजट प्राक्कलन तैयार/ अनुमोदित न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए भविष्य में नियमानुसार बजट प्राक्कलन तैयार करना सुनिश्चित किया जाए।

(ख) विहित रजिस्टरों/अभिलेख का अनुरक्षण न करना :-

हि0प्र0 पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 से 31 के अन्तर्गत पंचायत द्वारा विभिन्न रजिस्टरों/अभिलेखों का अनुरक्षण किया जाना अनिवार्य था । अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा निम्न रजिस्टरों/अभिलेखों का अनुरक्षण नहीं किया गया था, जोकि अनियमित व आपत्तिजनक है ।

क्र. स.	रजिस्टर/अभिलेख	फॉर्म संख्या	सन्दर्भित नियम
1	निवेश रजिस्टर	1	12
2	मांग एवं प्राप्ति रजिस्टर	10	33 व 77(4)
3	डाक टिकट रजिस्टर	24	61(2)
4	स्टेशनरी रजिस्टर	28	72(1) (सी व डी)
5	रसीद बुक जारी करने का रजिस्टर	------	31
6	बिल रजिस्टर	13	48

अतः नियमानुसार अभिलेखों व रजिस्टरों का रख-रखाव सुनिश्चित करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए ।

11. प्रत्यक्ष सत्यापन:-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 73 के अंतर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है । परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा भण्डार का नियमानुसार सत्यापन नहीं किया गया है, जिस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस संदर्भ में अपेक्षित कार्यवाई अमल में लाकर अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

12. **लघु आपति विवरणिका:-**यह अलग से जारी नहीं की गई है।

13. **निष्कर्ष:-**लेखों के रख-रखाव में सुधार की नितान्त आवश्यकता है।

(कृष्ण लाल नेगी) 19.7.24
सहायक निदेशक
हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग
शिमला–171009
दूरभाष नं0 –0177–2626670

का0/प्रति
20 JUL 2024
3522-3526

पृष्ठांकन संख्याः– फिन (एल0ए0) एच (पंच) (15)(11) 24/2017 खण्ड–1 दिनांक शिमला–09

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1 निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कसुम्पटी, शिमला–171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।

2 उप सचिव एवं समिति अधिकारी स्थानीय निधि लेखा समिति हि0प्र0 विधानसभा शिमला–4 को सूचनार्थ प्रेषित है।

3 जिला पंचायत अधिकारी मण्डी, जिला मण्डी, हि0प्र0।

4 खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड बल्ह, जिला मण्डी, हि0प्र0।

पंजीकृत 5 सचिव, ग्राम पंचायत ढाबन, विकास खण्ड बल्ह, जिला मण्डी, हि0प्र0 को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उतर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

20 JUL 2024

(कृष्ण लाल नेगी) 19.7.24
सहायक निदेशक
हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग
शिमला–171009
दूरभाष नं0 –0177–2626670

का0/प्रति

परिशिष्ट-"क" पैरा 1 (ग) में सन्दर्भित

गत अंकेक्षण प्रतिवेदन के अनिर्णित पैरो का सार

(1) अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/2014 से 03/2017

क्रम संख्या	**पैरा संख्या**	**विवरण**	
1	पैरा-3	**निर्णीत**	पैरा संख्या 3 के तहत अंकेक्षण अवधि अप्रैल 2014 से मार्च 2017 के अंतर्गत अंकेक्षण शुल्क 5000 बनता था, जिसे ड्राफ्ट संख्या 162170 दिनांक 17.07.2017 के माध्यम से विभाग में जमा करवा दिया गया है ।
2	पैरा-4.1	निर्णीत पुनः प्रारूपित	
3	पैरा-4.2	अनिर्णीत	
4	पैरा-5	निर्णीत पुनः प्रारूपित	
5	पैरा-6	निर्णीत पुनः प्रारूपित	
6	पैरा-7	अनिर्णीत	
7	पैरा-8	निर्णीत	अंकेक्षण के दिशा-निर्देश के तहत ग्राम पंचायत द्वारा क्रय सामग्री की स्टॉक प्रविष्टि नियमानुसार भंडार रजिस्टर में कर दी गयी है ।
8	पैरा-9	अनिर्णीत	
9	पैरा-10	निर्णीत	ग्राम पंचायत द्वारा सीमेंट बैग के दुर्विनियोजन हेतु 1030 की अंकेक्षण वसूली रसीद संख्या 665927 दिनांक 09.05.2024 के तहत पंचायत निधि में जमा करवा दी गयी है ।
10	पैरा-11	**अनिर्णीत**	
11	पैरा-12	निर्णीत	ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण के दिशा-निर्देश के तहत अनुदान रजिस्टर, यात्रा भत्ता रजिस्टर, गृह कर मांग व संग्रह रजिस्टर व अस्थायी अग्रिम रजिस्टर का रख-रखाव किया जा रहा है
12	पैरा-13	अनिर्णीत	

अनिर्णीत पैरों का विवरण

प्रारम्भिक शेष	12
वर्तमान अंकेक्षण के दौरान लगाए गए पैरे	9
वर्तमान अंकेक्षण के दौरान निर्णीत किए गए पैरे	7
अवधि 01.04.14 से 31.03.2023 तक के अनिर्णीत पैरों का अन्तशेष	14

पैरा संख्या – 5(i)
परिशिष्ट – (2क)

Financial position of own sources & 5th state of Gram Panchyat dhaban					
Year	Opening Balance	Income	Total	Expenditure	Closing balance
2022-23	1337886.82	476176	1814062.82	707885	1106177.82
2023-24	1106177.82	422240	1528417.82	520056	1008361.82

सचिव
ग्राम पंचायत ढाबण
विकास खण्ड धनोटू
जिला मण्डी (हि०प्र०)

पैरा संख्या - 5(ii)
परिशिष्ट -(आ)

Financial position of grants in aid of Gram Panchyat dhaban					
Year	**Opening Balance**	**Income**	**Total**	**Expenditure**	**Closing balance**
2022-23	960742.6	1691559	2652301.6	1808737	843564.6
2023-24	843564.6	1488890	2332454.6	1503610	828844.6

सचिव
ग्राम पंचायत ढाबण
विकास खण्ड धनोटू
जिला मण्डी (हि०प्र०)

24

बैंक समाधान विवरणी :-			
स्व स्त्रौत :-			
	दिनांक 31.03.24 को रोकड़ बहियों में अन्तिम शेष		1008361.82
अनुदान :-			
	दिनांक 31.03.24 को रोकड़ बहियों में अन्तिम शेष		828844.60
स्व स्त्रौत एवं अनुदान की रोकड़ बहियों में अंत शेष			1837206.42
	दिनांक 31.03.24 को बैंक खातों में अन्तिम शेष		1757255.42
		अन्तर की राशि	79951

सचिव
ग्राम पंचायत ढाबण
विकास खण्ड धनोटू
जिला मण्डी (हि०प्र०)

25

पैरा संख्या - 4 (iii)
परिशिष्ट - (घ)

Financial position of 15 th FCof Gram Panchyat dhaban					
Year	**Opening Balance**	**Income**	**Total**	**Expenditure**	**Closing balance**
2022-23	1473051.3	1092497	2565548.3	1011697.7	1553850.6
2023-24	1553850.6	584351	2138201.6	663271	1474930.6

Bank Reconicilation as on 31 03-2024			
Balance as per cash book	1474930.6		
Add:- On dated 31.03.2023 expenditure of Rs 17.70(bank charges) occurs as per cash book but no such expenditure occurs in pass book	17.7		**1474948.3**
Balance as per Pass book			**1474948.3**
Net Difference			**nill**

सचिव
ग्राम पंचायत ढाबण
विकास खण्ड धर्मपुर
जिला मण्डी (हि०प्र०)

पैरा संख्या - 6 (क)
परिशिष्ठ -(ङ)

(26)

कार्यालय ग्राम पंचायत ढाबण

सम्पति कर के रूप में बसूली हेतु बकाया राशी का विवरण

क्रम संख्या	वितिय वर्ष	कुल परिवर	कर दर	आरंभिक शेष	मांग	योग	बसूली	बसूली हेतु शेष राशी
1	2022-23	759	50	24120	37950	62070	5820	56250
2	2023-24	793	50	56250	39650	95900	8170	87730

सचिव
ग्राम पंचायत ढाबण
विकास खण्ड धनोटू
जिला मण्डी (हि०प्र०)

पैरा संख्या – 8 (क)
परिशिष्ट – (च)

क्र0 सं0	आपूर्तिकर्ता	बिल संख्या /दिनांक	मद का नाम	भुगतान राशि	मात्रा CUM	निर्धारित फैक्टर	मात्रा प्रति मीट्रिक टन	रॉयल्टी प्रति मीट्रिक टन	राशि
	15th fc								
1	हेम राज ठेकेदार गाँव मंदिर टांडा डाकघर लोहारा तहसील बल्ह जिला मण्डी	603/01.10.22	रेत	6665	5.00	1.62	8.10	80	648
2	हेम राज ठेकेदार गाँव मंदिर टांडा डाकघर लोहारा तहसील बल्ह जिला मण्डी	603/01.10.22	बजरी	11997	9.00	1.52	13.68	80	1094
3	हेम राज ठेकेदार गाँव मंदिर टांडा डाकघर लोहारा तहसील बल्ह जिला मण्डी	603/01.10.22	सोलिंग स्टोन	6287	6.00	2.24	13.44	80	1075
4	हेम राज ठेकेदार गाँव मंदिर टांडा डाकघर लोहारा तहसील बल्ह जिला मण्डी	561/05.08.22	रेत	7998	6.00	1.62	9.72	80	778
5	हेम राज ठेकेदार गाँव मंदिर टांडा डाकघर लोहारा तहसील बल्ह जिला मण्डी	561/05.08.22	बजरी	15996	12.00	1.52	18.24	80	1459
6	हेम राज ठेकेदार गाँव मंदिर टांडा डाकघर लोहारा तहसील बल्ह जिला मण्डी	622/06.11.22	रेत	15996	12.00	1.62	19.44	80	1555
7	हेम राज ठेकेदार गाँव मंदिर टांडा डाकघर लोहारा तहसील बल्ह जिला मण्डी	639/04.12.22	बजरी	7998	6.00	1.52	9.12	80	730
8	हेम राज ठेकेदार गाँव मंदिर टांडा डाकघर लोहारा तहसील बल्ह जिला मण्डी	639/04.12.22	रेत	2666	2.00	1.62	3.24	80	259
9	हेम राज ठेकेदार गाँव मंदिर टांडा डाकघर लोहारा तहसील बल्ह जिला मण्डी	581/02.09.22	रेत	5332	4.00	1.62	6.48	80	518
10	हेम राज ठेकेदार गाँव मंदिर टांडा डाकघर लोहारा तहसील बल्ह जिला मण्डी	581/02.09.22	बजरी	2666	2.00	1.52	3.04	80	243
11	हेम राज ठेकेदार गाँव मंदिर टांडा डाकघर लोहारा तहसील बल्ह जिला मण्डी	641/04.12.22	रेत	5332	4.00	1.62	6.48	80	518
12	हेम राज ठेकेदार गाँव मंदिर टांडा डाकघर लोहारा तहसील बल्ह जिला मण्डी	672/16.12.22	सोलिंग स्टोन	27214	22.00	2.24	49.28	80	3942
13	हेम राज ठेकेदार गाँव मंदिर टांडा डाकघर लोहारा तहसील बल्ह जिला मण्डी	672/16.12.22	रेत	11997	2.90	1.62	4.70	80	376
14	हेम राज ठेकेदार गाँव मंदिर टांडा डाकघर लोहारा तहसील बल्ह जिला मण्डी	705/06.01.23	रेत	10664	8.00	1.62	12.96	80	1037
15	हेम राज ठेकेदार गाँव मंदिर टांडा डाकघर लोहारा तहसील बल्ह जिला मण्डी	705/06.01.23	बजरी	10664	8.00	1.52	12.16	80	973
16	हेम राज ठेकेदार गाँव मंदिर टांडा डाकघर लोहारा तहसील बल्ह जिला मण्डी	705/06.01.23	सोलिंग स्टोन	8376	8.00	2.24	17.92	80	1434
17	हेम राज ठेकेदार गाँव मंदिर टांडा डाकघर लोहारा तहसील बल्ह जिला मण्डी	706/06.01.23	रेत	5332	4.00	1.62	6.48	80	518
18	हेम राज ठेकेदार गाँव मंदिर टांडा डाकघर लोहारा तहसील बल्ह जिला मण्डी	706/06.01.23	बजरी	5332	4.00	1.52	6.08	80	486
19	हेम राज ठेकेदार गाँव मंदिर टांडा डाकघर लोहारा तहसील बल्ह जिला मण्डी	706/06.01.23	सोलिंग स्टोन	4288	4.00	2.24	8.96	80	717
20	हेम राज ठेकेदार गाँव मंदिर टांडा डाकघर लोहारा तहसील बल्ह जिला मण्डी	742/01.02.23	रेत	3332	2.50	1.62	4.05	80	324
21	हेम राज ठेकेदार गाँव मंदिर टांडा डाकघर लोहारा तहसील बल्ह जिला मण्डी	742/01.02.23	बजरी	1999	1.50	1.52	2.28	80	182
22	हेम राज ठेकेदार गाँव मंदिर टांडा डाकघर लोहारा तहसील बल्ह जिला मण्डी	743/01.02.23	बजरी	1999	1.50	1.52	2.28	80	182
23	हेम राज ठेकेदार गाँव मंदिर टांडा डाकघर लोहारा तहसील बल्ह जिला मण्डी	743/01.02.23	सोलिंग स्टोन	12564	12.00	2.24	26.88	80	2150
	14वां वित्त आयोग								
24	हेम राज ठेकेदार गाँव मंदिर टांडा डाकघर लोहारा तहसील बल्ह जिला मण्डी	523/26.04.22	रेत	11944	8.96	1.62	14.52	80	1161
25	हेम राज ठेकेदार गाँव मंदिर टांडा डाकघर लोहारा तहसील बल्ह जिला मण्डी	523/26.04.22	बजरी	23967	17.98	1.52	27.33	80	2186
	manrega								
26	हेम राज ठेकेदार गाँव मंदिर टांडा डाकघर लोहारा तहसील बल्ह जिला मण्डी	143/02.08.21	रेत	21328	16.00	1.62	25.92	60	1555
27	हेम राज ठेकेदार गाँव मंदिर टांडा डाकघर लोहारा तहसील बल्ह जिला मण्डी	143/02.08.21	बजरी	21328	16.00	1.52	24.32	60	1459
28	हेम राज ठेकेदार गाँव मंदिर टांडा डाकघर लोहारा तहसील बल्ह जिला मण्डी	451/01.09.21	बजरी	34658	26.00	1.52	39.52	60	2371
29	हेम राज ठेकेदार गाँव मंदिर टांडा डाकघर लोहारा तहसील बल्ह जिला मण्डी	451/01.09.21	रेत	15996	12.00	1.62	19.44	60	1166
30	हेम राज ठेकेदार गाँव मंदिर टांडा डाकघर लोहारा तहसील बल्ह जिला मण्डी	506/09.03.22	रेत	5332	4.00	1.62	6.48	80	518
31	हेम राज ठेकेदार गाँव मंदिर टांडा डाकघर लोहारा तहसील बल्ह जिला मण्डी	507/09.03.22	बजरी	35991	27.00	1.52	41.04	80	3283

32	हेम राज ठेकेदार गाँव मंदिर टांडा डाकघर लोहारा तहसील बल्ह जिला मण्डी	503/06.03.22	रेत	10664	8.00	1.62	12.96	80	1037
33	हेम राज ठेकेदार गाँव मंदिर टांडा डाकघर लोहारा तहसील बल्ह जिला मण्डी	504/06.03.22	बजरी	10664	8.00	1.52	12.16	80	973
34	हेम राज ठेकेदार गाँव मंदिर टांडा डाकघर लोहारा तहसील बल्ह जिला मण्डी	442/01.08.21	बजरी	3972.34	2.98	1.52	4.53	60	272
35	हेम राज ठेकेदार गाँव मंदिर टांडा डाकघर लोहारा तहसील बल्ह जिला मण्डी	441/01.08.21	रेत	13330	10.00	1.62	16.20	60	972
36	हेम राज ठेकेदार गाँव मंदिर टांडा डाकघर लोहारा तहसील बल्ह जिला मण्डी	489/03.03.22	सोलिंग स्टोन	1857	1.50	2.24	3.36	80	269
37	हेम राज ठेकेदार गाँव मंदिर टांडा डाकघर लोहारा तहसील बल्ह जिला मण्डी	490/03.03.22	रेत	10664	8.00	1.62	12.96	80	1037
38	हेम राज ठेकेदार गाँव मंदिर टांडा डाकघर लोहारा तहसील बल्ह जिला मण्डी	488/03.03.22	बजरी	2666	2.00	1.52	3.04	80	243
39	हेम राज ठेकेदार गाँव मंदिर टांडा डाकघर लोहारा तहसील बल्ह जिला मण्डी	493/04.03.22	सोलिंग स्टोन	4952	4.00	2.24	8.96	80	717
40	हेम राज ठेकेदार गाँव मंदिर टांडा डाकघर लोहारा तहसील बल्ह जिला मण्डी	492/04.03.22	बजरी	1333	2.00	1.52	3.04	80	243
41	हेम राज ठेकेदार गाँव मंदिर टांडा डाकघर लोहारा तहसील बल्ह जिला मण्डी	491/04.03.22	रेत	13330	10.00	1.62	16.20	80	1296
42	हेम राज ठेकेदार गाँव मंदिर टांडा डाकघर लोहारा तहसील बल्ह जिला मण्डी	498/05.03.22	रेत	6665	5.00	1.62	8.10	80	648
43	हेम राज ठेकेदार गाँव मंदिर टांडा डाकघर लोहारा तहसील बल्ह जिला मण्डी	494/04.03.22	रेत	9331	7.00	1.62	11.34	80	907
44	हेम राज ठेकेदार गाँव मंदिर टांडा डाकघर लोहारा तहसील बल्ह जिला मण्डी	464/05.02.22	रेत	15996	12.00	1.62	19.44	80	1555
45	हेम राज ठेकेदार गाँव मंदिर टांडा डाकघर लोहारा तहसील बल्ह जिला मण्डी	500/05.03.22	सोलिंग स्टोन	20520	12.00	2.24	26.88	80	2150
46	हेम राज ठेकेदार गाँव मंदिर टांडा डाकघर लोहारा तहसील बल्ह जिला मण्डी	501/06.03.22	रेत	7998	6.00	1.62	9.72	80	778
47	हेम राज ठेकेदार गाँव मंदिर टांडा डाकघर लोहारा तहसील बल्ह जिला मण्डी	502/06.03.22	बजरी	2666	2.00	1.52	3.04	80	243
48	हेम राज ठेकेदार गाँव मंदिर टांडा डाकघर लोहारा तहसील बल्ह जिला मण्डी	663/11.12.22	रेत	9331	7.00	1.62	11.34	80	907
49	हेम राज ठेकेदार गाँव मंदिर टांडा डाकघर लोहारा तहसील बल्ह जिला मण्डी	664/11.12.22	बजरी	10664	8.00	1.52	12.16	80	973
50	हेम राज ठेकेदार गाँव मंदिर टांडा डाकघर लोहारा तहसील बल्ह जिला मण्डी	658/08.12.22	रेत	15996	12.00	1.62	19.44	80	1555
51	हेम राज ठेकेदार गाँव मंदिर टांडा डाकघर लोहारा तहसील बल्ह जिला मण्डी	659/08.12.22	बजरी	27993	21.00	1.52	31.92	80	2554
52	हेम राज ठेकेदार गाँव मंदिर टांडा डाकघर लोहारा तहसील बल्ह जिला मण्डी	666/13.12.22	रेत	3999	3.00	1.62	4.86	80	389
53	हेम राज ठेकेदार गाँव मंदिर टांडा डाकघर लोहारा तहसील बल्ह जिला मण्डी	667/13.12.22	बजरी	4665	2.50	1.52	3.80	80	304
54	हेम राज ठेकेदार गाँव मंदिर टांडा डाकघर लोहारा तहसील बल्ह जिला मण्डी	620/06.11.22	रेत	9331	7.00	1.62	11.34	80	907
55	हेम राज ठेकेदार गाँव मंदिर टांडा डाकघर लोहारा तहसील बल्ह जिला मण्डी	668/14.12.22	रेत	5332	4.00	1.62	6.48	80	518
56	हेम राज ठेकेदार गाँव मंदिर टांडा डाकघर लोहारा तहसील बल्ह जिला मण्डी	669/15.12.22	रेत	6665	5.00	1.62	8.10	80	648
57	हेम राज ठेकेदार गाँव मंदिर टांडा डाकघर लोहारा तहसील बल्ह जिला मण्डी	809/02.03.23	रेत	3999	3.00	1.62	4.86	80	389
58	हेम राज ठेकेदार गाँव मंदिर टांडा डाकघर लोहारा तहसील बल्ह जिला मण्डी	678/18.12.22	रेत	11997	9.00	1.62	14.58	80	1166
59	हेम राज ठेकेदार गाँव मंदिर टांडा डाकघर लोहारा तहसील बल्ह जिला मण्डी	785/19.02.23	रेत	10664	8.00	1.62	12.96	80	1037
60	हेम राज ठेकेदार गाँव मंदिर टांडा डाकघर लोहारा तहसील बल्ह जिला मण्डी	822/05.03.23	रेत	10664	8.00	1.62	12.96	80	1037
61	हेम राज ठेकेदार गाँव मंदिर टांडा डाकघर लोहारा तहसील बल्ह जिला मण्डी	818/05.03.23	रेत	4665	8.00	1.62	12.96	80	1037
62	हेम राज ठेकेदार गाँव मंदिर टांडा डाकघर लोहारा तहसील बल्ह जिला मण्डी	591/04.09.22	रेत	7998	6.00	1.62	9.72	80	778
63	हेम राज ठेकेदार गाँव मंदिर टांडा डाकघर लोहारा तहसील बल्ह जिला मण्डी	786/19.02.23	रेत	5998	4.50	1.62	7.29	80	583
64	हेम राज ठेकेदार गाँव मंदिर टांडा डाकघर लोहारा तहसील बल्ह जिला मण्डी	797/01.03.23	रेत	7998	6.00	1.62	9.72	80	778
65	हेम राज ठेकेदार गाँव मंदिर टांडा डाकघर लोहारा तहसील बल्ह जिला मण्डी	829/08.03.23	रेत	11997	9.00	1.62	14.58	80	1166

66	हेम राज ठेकेदार गाँव मंदिर टांडा डाकघर लोहारा तहसील बल्ह जिला मण्डी	674/17.12.22	बजरी	5332	4.00	1.52	6.08	80	486
67	हेम राज ठेकेदार गाँव मंदिर टांडा डाकघर लोहारा तहसील बल्ह जिला मण्डी	675/17.12.22	रेत	10664	8.00	1.62	12.96	80	1037
68	हेम राज ठेकेदार गाँव मंदिर टांडा डाकघर लोहारा तहसील बल्ह जिला मण्डी	657/09.12.22	रेत	10664	8.00	1.62	12.96	80	1037
69	हेम राज ठेकेदार गाँव मंदिर टांडा डाकघर लोहारा तहसील बल्ह जिला मण्डी	805/02.03.23	बजरी	5332	4.00	1.52	6.08	80	486
70	हेम राज ठेकेदार गाँव मंदिर टांडा डाकघर लोहारा तहसील बल्ह जिला मण्डी	807/02.03.23	रेत	9331	7.00	1.62	11.34	80	907
71	हेम राज ठेकेदार गाँव मंदिर टांडा डाकघर लोहारा,तहसील बल्ह जिला मण्डी	804/02.03.23	रेत	21061	15.80	1.62	25.60	80	2048
72	हेम राज ठेकेदार गाँव मंदिर टांडा डाकघर लोहारा तहसील बल्ह जिला मण्डी	660/09.12.22	बजरी	44256	33.20	1.52	50.46	80	4037
									75006